न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 490 सन 2018

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. ज्ञानसिह पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 05/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 के खसरा न0 93/2.5300हैक भूमि मं वादी व तरतीबी प्रतिवादी सयुक्त खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वाद भूमि वादी के नाम दर्ज करते समय बेगराज पुत्र उमाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानाराम पुत्र उमाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम बेगराज एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम ज्ञानसिह पुत्र उमाराम है इसप्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत तोर से दर्ज किया गया है

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम बेगराज एवं ज्ञानसिह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बेगराम , ज्ञानााम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी व तरतीबी प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लाभ नही उठा पा रहा है इसलिये वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का बेगराम के स्थान पर बेगराज एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानाराम के स्थान पर ज्ञानसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 के खसरा न0 93/2.5300हैक भूमि मं वादी व तरतीबी प्रतिवादी सयुक्त खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वाद भूमि वादी के नाम दर्ज करते समय बेगराज पुत्र उमाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानाराम पुत्र उमाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम बेगराज एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम ज्ञानसिह पुत्र उमाराम है इसप्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत तोर से दर्ज किया गया है

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम बेगराज एवं ज्ञानसिह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बेगराम ,

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ज्ञानाम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी व तरतीबी प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लाभ नही उठा पा रहा है इसलिये वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का बेगराम के स्थान पर बेगराज एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानाराम के स्थान पर ज्ञानसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का नाम बेगराम एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानाराम दर्ज किया हुआ है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय बेगराज के स्थान पर बेगराम एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम ज्ञानसिह के स्थान पर ज्ञानाराम दर्ज किया गया है सही नाम बेगराज एव ज्ञानसिह है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम बेगराज पुत्र उमाराम एवं ज्ञानसिह पुत्र उमाराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया के अनुसार भी बेगराम एवं बेगराज एवं ज्ञानराम एवं ज्ञानसिह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम बेगराज एवं ज्ञानसिह है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत लाखासर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 की कुल 2.5300हैक भूमि जिसमे वादी 1/2 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में वादी का नाम बेगाराम पुत्र उमाराम के स्थान पर बेगराज पुत्र उमाराम एवं ज्ञानाराम पुत्र उमाराम के स्थान पर ज्ञानसिह पुत्र उमाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. ज्ञानसिह पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 179 सन 2020 निर्णय दिनांक– 5/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/45 की कुल 2.5300हैक भूमि जिसमे वादी 1/2 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में वादी का नाम बेगाराम पुत्र उमाराम के स्थान पर बेगराज पुत्र उमाराम एवं ज्ञानाराम पुत्र उमाराम के स्थान पर ज्ञानसिह पुत्र उमाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)